ई पत्रावली संख्या:-31110

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः27 जुलाई,2022

विषयः-मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 881/2021 के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र- चम्पावत में ग्राम नायकगोठ गाँव से हनुमानगढ़ी खेतखेड़ा तनवालखेड़ा मोटर मार्ग पर 125 मीटर स्पान आर्च मोटर सेतु का निर्माण कार्य (ई.पी.सी. मोड के अन्तर्गत) (विस्तृत आगणन) **(RFQ एवं TOR के अनुसार)** की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, 125 मी. स्पान सेतु एवं लागत ₹ **1419.04** लाख है, का परीक्षण शासन/टी.ए.सी., नियोजन विभाग से कराने के उपरान्त अनुमोदित धनराशि ₹ **1377.14** लाख के सापेक्ष मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07 जनवरी, 2022 को सम्पन्न हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में औचित्यपूर्ण पायी गयी लागत ₹ **1377.14** लाख **{₹ 1277.17 लाख निर्माण कार्य हेतु + ₹99.97 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार व्यय हेतु} (रूपये तेरह करोड़ सतहत्तर लाख चौदह हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु **₹0.10** लाख (रूपये दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07 जनवरी, 2022 को सम्पन्न हुई व्यय वित्त समिति की बैठक के अनुक्रम में राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत कार्यवृत संख्या-57/880/लो.नि.वि./ई.एफ.सी./रा.यो.आ./2022-23 दिनांक 07 जनवरी 2022 **(Attached)** के बिन्दु संख्या- 5 के क्रमांक- 5.1 से 5.11 में वर्णित/उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति के सापेक्ष व्यय की कार्यवाही की जाय तथा साथ ही विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चर डिजायन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या कान्ट्रेक्टर के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। उक्त के अतिरिक्त विषयगत कार्य के सम्बन्ध में शासन स्तर पर समय-समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों

I/53041/2022

का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर नियमानुसार प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के आद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iv) सेतु निर्माण कार्य ई.पी.सी. निर्माण पद्धति से कराया जाना है, व्यय वित्त समिति के शासनादेश संख्या 474 दिनांक 01.08.2019 में इस हेतु पृथक् से कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है। ई.पी.सी. पद्धति में विभिन्न निविदादाता अपने ड्राइंग, डिजायन एवं अभिनव तकनीकी से पृथक–पृथक लागत का विवरण प्रस्तुत करेंगे। अतः विभागीय आंकलित आगणन की लागत की गोपनीयता के साथ तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सर्वोत्तम प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

(v) निर्माण कार्य ई.पी.सी. मोड में प्रस्तावित है, अत निर्माण कार्य के प्लानिंग, डिजाइन एवं सम्पादन में ई.पी.सी. गाईडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(vi) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(vii) निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत प्रतिशत प्राईमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

(viii) निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोड़ी, सीमेण्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई.एस. कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर N.A.B.L. प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

(ix) निर्माण कार्यों की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित की जाय।

(x) सेतु एवं Approach मार्ग के जंक्शन में Geometry का विशेष ध्यान दिया जाय ताकि सुरक्षित यातायात हेतु मार्ग सुलभ रहे।

(xi) आगणन में एस.ओ.आर.–2021 की दरें ली गई हैं विशिष्टियों एवं दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समावेश करेंगे, जो अपरिहार्य मदें हैं।

(xii) विभागध्यक्ष दरों के अतिरिक्त जो कार्य नॉन शेड्यूल मदों के अन्तर्गत कराये जाने हैं, उनकी अधिप्राप्ति एवं क्रियान्वयन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

Generated from eOffice by PREM SINGH NEGI, RO-PWD-PSN, RO - PWD, Public Works Department on 28/07/2022 09:48 AM

I/53041/2022

(xiii) मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

(xiv) कार्य की Hydraulic Design एवं ड्राइंग सक्षम स्तर से वैट किया जाना आवश्यक है।

(xv) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन में River Flow and Water way किसी भी दशा में Restrict न होने पाये।

(xvi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(xvii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(xviii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(xix) स्वीकृत किये जा रहे विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(xx) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(xxi) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(xxii) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(xxiii) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(xiv) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(xxv) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॅक्यौरमेण्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xxvi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की

Generated from eOffice by PREM SINGH NEGI, RO-PWD-PSN, RO - PWD, Public Works Department on 28/07/2022 09:49 AM

I/53041/2022

आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xxvii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xxviii) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(xxix) प्रस्तावित स्थल का हाइड्रॉलिक द्वारा जियोटेक्निकल व जियोलॉजिकल सर्वेक्षण आदि पुनः सत्यापित करा लिया जाए।

(xxx) कार्य कराने से पूर्व समस्त ड्राइंग के डिजाइन का किसी उच्च तकनीकी संस्थान से Vett करा लिया जाए।

(xxxi) वर्तमान में प्रस्तुत आगणन Concept Drawing के आधार पर गठित है, कार्य EPC मोड में कराया जाना है। आगणन प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अनुमोदन सक्षम विभागीय अधिकारी से करा लिया जाए।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–0302 नया निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण कार्य (5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या- **I/51713//2022** दिनांक 21 जुलाई, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Ramesh Kumar Sudhanshu
(रमेश कुमार सुधांशु)
Date: 27-07-2022 17:04:23
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, चम्पावत।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Generated from eOffice by PREM SINGH NEGI, RO-PWD-PSN, RO - PWD, Public Works Department on 28/07/2022 09:49 AM

I/53041/2022

8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।
11. गार्ड बुक।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

Signed by Shyam Singh
Date: 27-07-2022 18:02:35
Reason: Approved

Generated from eOffice by PREM SINGH NEGI, RO-PWD-PSN, RO - PWD, Public Works Department on 28/07/2022 09:49 AM

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–881 / 2021 के अन्तर्गत जनपद व विधान सभा क्षेत्र चम्पावत में ग्राम नायकगोठ गांव से हनुमानगढी खेतखेडा तनवालखेडा मोटर 125 मीटर स्पान मोटर सेतु का निर्माण कार्य (ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत विस्तृत आगणन आर0एफ0क्यू0 एवं टी0ओ0आर0 के अनुसार) की योजना के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07 जनवरी, 2022 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07 जनवरी, 2022 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:–

1. श्री आर0के0 सुधांशु, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मेजर योगेन्द्र यादव, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री प्रमोद कुमार, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री के0पी0 उप्रेती, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– विधान सभा क्षेत्र चम्पावत में ग्राम नायकगोठ, हनुमानगढी, खेतखेडा, तनवालखेडा के ग्रामीण आबादी को मोटर मार्ग में आने वाली नदी में सेतु न होने के कारण वर्षाकाल में आवागमन की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए सेतु का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।
2. **योजना में प्राविधान** :– योजना में निम्न प्राविधान है :–
   1. नीव में खुदान कार्य।
   2. 125 मीटर स्पान स्टील गर्डर आर्च ब्रिज।
   3. सबस्ट्रक्चर में आर0सी0सी0 एम–35 का कार्य।
   4. सेतु के दोनों ओर पहुंच मार्ग एवं दीवार का निर्माण।
   5. सेतु के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में सुरक्षात्मक कार्य।
   6. पॉट पी0टी0एफ0ई0 बियरिंग का कार्य।
3. **भूमि की उपलब्धता** :– निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भूमि उपलब्ध है।
4. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**
   - 4.1 योजना की स्वीकृति हेतु विभागीय समिति की बैठक दिनांक 20.12.2021 को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें योजना आगणन को व्यय वित्त समिति में प्रस्तुतिकरण हेतु संस्तुति की गयी।
   - 4.2 सेतु का आगणन डिजाइन एण्ड सुपरविजन Consultancy फर्म द्वारा Concept ड्राइंग के आधार पर गठित किया गया है तथा निर्माण कार्य ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।
   - 4.3 कार्य की स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा विस्तृत डिजाइन, ड्राइंग, वैटिंग आदि कार्य ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत कराये जायेगें।
   - 4.4 सेतु का स्थल चयन दो अधीक्षण अभियन्ता एवं एक अधिशासी अभियन्ता की समिति द्वारा दिनांक 04.10.2019 को किया गया है।
   - 4.5 कार्य स्थल का Geo Technical Investigation का Design and Supervision Consultant, (Vitalvertex Value Venture Ltd, Sector-19 Dwarika, New Delhi) द्वारा मार्च 2020 में

क्रमशः पृष्ठ–2/–

किया गया है। कार्य स्थल की मिट्टी की सुरक्षित भार वहन क्षमता 3.00 मीटर गहराई में 30 टन प्रति वर्ग मीटर एवं 04 मीटर गहराई में 40 टन प्रति वर्ग मीटर आंकलित की गयी है।

4.6 नदी का hydraulic Survey and Hydraulic Design, Design and Super vision Consultant द्वारा किया गया है नदी का अधिकतम डिस्चार्ज 2379 cumec आंकलित करते हुए सेतु का स्पान निर्धारित किया गया है।

4.7 सेतु का निर्माण Seismic Zone-V में प्रस्तावित है। डिजाइन में भूकम्प के प्रभाव का समावेश किया गया है।

4.8 सेतु का Carriage way 6.00 मीटर लिया गया है जबकि लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार 1.5 लेन हेतु 5.50 मीटर निर्धारित है।

4.9 सेतु के दोनों ओर 60 मीटर लम्बाई में पहुंच मार्ग का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

4.10 सेतु के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में Gabion Wire Crate के साथ दीवार बनाकर सुरक्षा कार्य मानकों के अनुसार प्रस्तावित किये गये है।

4.11 आगणन में दरे एस0ओ0आर0 2021 में प्राविधानित दरों पर आधारित है।

4.12 प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Description	SOR	NSI
1	Cost of Bridge	1047.68	98.99
2	Cost of Protection Work	24.05	
3	Cost of Approch Road	38.82	
	Total	**1110.58**	**98.99**
	Add Contingency @2%	22.21	0.98
	Add 1% QC	11.11	
	Add GST @12%	133.27	
	Grand Total	**1277.17**	**99.97**
	Say in lakh	**1377.14 Lakh**	

परियोजना की कुल लागत :– रू0 1377.14 लाख

5 व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया एवं प्राविधानों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के अनुरोध पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त के आलोक में योजना की लागत रू0 1377.14 लाख को निम्न **निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया** :–

5.1 निर्माण कार्य ई0पी0सी0 मोड में प्रस्तावित है, अतः निर्माण कार्य के प्लानिंग, डिजाइन एवं सम्पादन में ई0पी0सी0 गाईड लाइन का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.2 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

5.3 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

5.4 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

5.5 निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित की जाय।

5.6 सेतु एवं Approach मार्ग में के जंक्सन में Geometry का विशेष ध्यान दिया जाय ताकि सुरक्षित यातायात हेतु मार्ग सुलभ रहे।

5.7 आगणन में एस0ओ0आर0–2021 की दरें ली गई है विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.8 विभागीय दरों के अतिरिक्त जो कार्य नॉन शिड्यूल मदों के अन्तर्गत कराये जाने है उनकी अधिप्राप्ति एवं क्रियान्वयन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अक्षरस पालन सुनिश्चित किया जाय।

5.9 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

5.10 कार्य की Hydraulic Design एवं ड्राइंग सक्षम स्तर से वैट किया जाना आवश्यक है।

5.11 यह सुनिश्यित किया जाना आवश्यक है कि प्रस्तावित कार्यो के क्रियान्वयन में River Flow and Water way किसी भी दशा में Restrict न होने पाये।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.11 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 57 /880/लो0नि0वि0/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2022–23
देहरादूनः दिनांकः 07 जनवरी, 2022

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/53041/2022
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S22070220007
आवंटन पत्र दिनांक-28-JUL-2022

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	40000	10000	0	50000
योग	40000	10000	0	50000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd
E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 513 /20 याता0'क'/2022 दिनांक– 01.07.2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़/चम्पावत।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

30/7/22
आर0 सी0 एस0 पंवार
अधिशासी अभियन्ता
30/07/2022